प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-214/2025 दिनांक 02.08.2025)
दिनांक-02.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

एक पिकप वाहन से अवैध रुप से तस्करी कर ले जायी जा रही 03 राशि गोवंश के साथ 02 गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.08.2025 को थाना कसया पुलिस द्वारा थाना कसया क्षेत्र से 02 पशु तस्करों 1.सोनू पुत्र मशहूर पता सिकटिया टोला रसूलपुर थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर, 2.सुनील शर्मा पुत्र बाल किशन शर्मा पता अहिरौली दुबौली थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर मौके/कब्जे से 01 अदद मैजिक वाहन संख्या UP57AT8210 से 03 राशि गोवंशीय(02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा) पशु क्रूरता पूर्वक बंधे हुए आदि बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कसया पर मु0अ0सं0 0508/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-
पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गोवंशीय पशुओं को विभिन्न स्थानों से पकड़कर पिकअप वाहन में क्रूरुता पूर्वक लाद कर बिहार राज्य में ले जाकर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 508/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1.सोनू पुत्र मशहूर पता सिकटिया टोला रसूलपुर थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर,

Edit with WPS Office

2. सुनील शर्मा पुत्र बाल किशन शर्मा पता अहिरौली दुबौली थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी विवरण-
1-एक अदद मैजिक रजिस्ट्रेशन संख्या UP57AT8210
2-तीन राशी गौवंशीय पशु (02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
1. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 गौरव शुक्ला चौकी प्रभारी कुशीनगर थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 आदर्श मिश्र थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 साहिल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
5. का0 उमाशंकर यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
6. का0 राहुल पाण्डेय थाना कसया कुशीनगर

थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा व कुटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 27.05.2025 को थाना सेवरहीं क्षेत्रान्तर्गत आवेदक संन्तोष सिंह व ब्रजेश कुमार सिंह पुत्रगण रमाशंकर सिंह ग्राम- हरैया बुजुर्ग पो0- होरलापुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर द्वारा सूचना दिया गया कि वाजिद अली अपने साथियों के साथ मिलकर विदेश भेजने के नाम पर आवेदकगण व अन्य लोगों से कुल मिलाकर 22,54,000/- रूपये ले लिये तथा षड़यन्त्र करके फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी टिकट व वीजा दिया गया। बाद में पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व धमकी दिया जा रहा है। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा थाना सेवरही पर मु0अ0सं0 151/2025 पंजीकृत कराया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 02.08.2025 को उक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त डाक्टर वाजिद अली पुत्र मोहम्मद तारीफ सा0 दरोगाडीह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

पूछ-ताछ का विवरण-
अभियुक्त डाक्टर वाजिद अली ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने

Edit with WPS Office

अपने साथियों के साथ मिलकर रेहान टेस्ट सेंटर ऑफिस (शिवशक्तिनगर, सेवरही) खोला था, जहां 22-25 लोगों से अजरबैजान भेजने के नाम पर पैसे लिए और सभी आवेदकों को अजरबैजान का फर्जी वीजा तैयार कर दे दिया गया साथ ही टिकट भी बुक करा दिया गया। जाने के एक दिन पहले सभी का टिकट कैंसिल करा दिया गया और मैसेज कर दिया गया कि आप लोगों का वीजा किसी कारण से कैंसिल हो गया है जिससे विदेश नही जा सकते हैं। इसके बाद ऑफिस बंद कर वे फरार हो गए थे।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 151/2025 धारा 316(2)/352/ 351(3)/61(2)/ 318(4)/ 338/ 336(4) बीएनएस थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
वाजिद अली पुत्र मोहम्मद तारीफ सा0 दरोगाडीह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार शर्मा चौकी प्रभारी कस्बा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3.का0 किशन सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4.का0 आदित्य प्रताप सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.08.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/2025 धारा धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ संदीप राजभर पुत्र स्व0 ओमप्रकाश राजभर साकिन सिसवा कोठिभार थाना कोठिभार जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 51/2025 धारा धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जटहाँ बाजार कुशीनगर

Edit with WPS Office

गिरफ्तार अभियुक्त–
आशीष उर्फ संदीप राजभर पुत्र स्व0 ओमप्रकाश राजभर साकिन सिसवा कोठिभार थाना कोठिभार जनपद महराजगंज

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 देवेन्द्र यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-56 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-50, व्यक्ति-154
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-47)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office